(ङ) हिन्दी का प्रगामी प्रयोग, तिमाही प्रगति रिपोर्ट द्वारा और यथासंभव निरीक्षण द्वारा स्वयं मंत्रालयों/विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है । राजभाषा विभाग भी निगरानी रखता है और मंत्रालयों/विभागों से शीघ्र अनुपालन के लिए अनुरोध करता है । सम्बन्धित मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए मार्गनिर्देश देती है ।

(च) भारत सरकार के सचिव एवं हिन्दी सलाहकार का पद रिक्त नहीं है और वर्तमान पदाधिकारी फरवरी, 1984 से इस पद पर हैं ।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

2207. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) जबसे परमाणु ऊर्जा विभाग बना है तब से लेकर आज तक उसकी हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में कितने व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): (क) परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का गठन हाल ही में किया गया है और उसकी पहली बैठक 3.9.84 को होगी ।

(ख) पिछले वर्ष परमाणु ऊर्जा विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक हुई थी । तेरह में से केवल एक सदस्य उस बैठक में भाग नहीं ले सके थे ।

न्यायालयों की भाषा

†2208. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी या देश की किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की भाषा बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई कदम उठाए हैं तो वे क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार जब तक संसद कानून बनाकर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करती है तब तक उच्चतम न्यायालय में सारी कार्रवाई फैसले आदि केवल अंग्रेजी में ही होंगे ।

संविधान के अनुच्छेद 348(2) तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अथवा पारित किसी फैसले, आदेश आदि के लिए, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी अथवा उस राज्य की राजभाषा के राज्य की राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रयोग का अधिकार दे सकता है । अतः संविधान और राजभाषा अधिनियम, 1963 के इन उपबन्धों के अधीन उच्च न्यायालयों में हिन्दी अथवा सम्बन्धित राज्यों की राजभाषाओं के प्रयोग के लिए स्वयं राज्य सरकारों को पहल करनी है । इस मामले में केन्द्रीय सरकार को केवल उस समय कार्रवाई करनी होती है, जब उपरोक्त संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेने का प्रश्न उठता है । इन प्रावधानों के अधीन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के राज्यपालों ने इन प्रदेशों के उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों आदि में हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर दिया है ।

उच्च कार्यालयों में हिन्दी में काम

†2299. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने उच्च न्यायालयों ने अपना काम राजभाषा हिन्दी में करना शुरू कर दिया है;

†Previously Unstarred Question 1961 transferred from the 13th August, 1984.

†Previously Unstarred Question 1964 transferred from the 13th August, 1984.